

उक्त स्वीकृति प्रशासनिक विभाग की आईडी संख्या 6859/एम/पीडब्ल्यूडी/2017 दिनांक 14.12.2017 एवं वित्त विभाग की आईडी संख्या 101706634 दिनांक 15/12/2017 के अनुसरण में निम्न शर्तों पर जारी की जा रही है।

- शर्त:- 1. यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त कार्यो पर व्यय RTTP Act. 2012/Rules 2013, तत्संबंधी वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना करते हुए के अनुसार निर्धारित सक्षमता SOP के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जावेगा कि निविदा आमन्त्रण से पूर्व प्रस्तावित कार्यो की ड्राईंग एवं डिजायन अनुमोदित करा ली गई है, तथा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होने पर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(359) अनु-2/2017-18/डी-199

दिनांक: 15 /12/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग- कोटा।

2- अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0विभाग, वृत्त - बांरा।

3- अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0विभाग, खण्ड - छबडा/शाहबाद/मांगरोल।

4- मु0 अभियन्ता (पथ)/ अधीक्षण अभियन्ता(पथ)/ अधिशाषी अभियन्ता (पी एण्ड एम-II)/ उपनिदेशक, सांख्यिकी/ बजट लिपिक (पथ)/ कम्पाईलेशन लिपिक, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।

तकमीने में, कार्य के विरुद्ध व्यय करने में, माहवार लेखों में शामिल करते समय भविष्य में स्वीकृति से संबंधी सभी संदर्भों में कार्य का जोब नं. जैसा कार्य को आवंटित किया गया है व कार्य के विवरण के समक्ष अंकित किया गया है, वैसा ही बिना बदलाव के लिखा जावे। कार्य की राशि प्रोरेटा (प्रतिभार) सहित है। व्यय, आवंटित बजट सीमा तक ही किया जावे।

भवदीय

(एम0जी0माहेश्वरी)

मुख्य अभियन्ता (पथ),

सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर